# न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

## पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या —113 / 2018 अपील (RCMS/2018/00124)
पंजीयन दिनांक —13.08.2018
निर्णय दिनांक —26.12.2018

1. श्री एकलिंगजी ट्रस्ट, सिटी पैलेस जरिये उप सचिव, श्री अजय विक्रम सिंह पिता स्वर्गीय श्री हरिशचन्द्र सिंह जी करजाली हाउस, सरदारपुरा, उदयपुर निवासी सिटी पैलेस, उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

**—अपीलान्ट**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।
2. सहायक कमिश्नर, देवस्थान विभाग, उदयपुर।

**—रेस्पोडेन्टस्**

3. श्री आसावरामाता अंहिसा प्रचार समिति, आसावरा, तहसील भदेसर (रजिस्ट्रेशन नम्बर 24—88 / 89 चित्तौड़गढ़) जरिये अध्यक्ष श्री सज्जनसिंह हिंगड पिता श्री लक्ष्मीलाल जी हिंगड़, निवासी मालदास स्ट्रीट, उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

**—प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितिः—

1. श्री एम.एल.दशोरा, मो.असलम नौशाद, श्री अनवारून अली — वकील अपीलान्ट
2. श्री योगेन्द्र दशोरा — राजकीय अधिवक्ता (वकील रेस्पोडेंट संख्या—1 व 2)
3. श्री सम्पतलाल बोहरा व परमेश्वर पड्या — वकील रेस्पोडेंट संख्या—3

अपील अर्न्तगत धारा—76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर प्रकरण संख्या 19 / 2010 दिनांक 12.07.2018

## निर्णय

दिनांक 26.12.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी, भदेसर प्रकरण संख्या 19/2010 दिनांक 12.07.2018 के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर समक्ष रेस्पोडेंट संख्या–3 द्वारा नामान्तरकरण संख्या 131 दिनांक 06.05.1971 से असंतुष्ट होकर अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके मौजा आसावरा तहसील भदेसर की आराजी नम्बर 643 रकबा 155 बीघा 19 बिस्वा तालाब तथा पाल की आराजी न. 651 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 160 बीघा भूमि जो राजस्व अभिलेखों में बिलानाम सरकार के रूप में दर्ज चली आ रही थी, इस कृषि भूमि को नामान्तरकरण संख्या 131 के माध्यम से एकलिंगजी ट्रस्ट देवस्थान विभाग के नाम अंकित कर दिया और वर्तमान में यह कृषि भूमि एकलिंगजी ट्रस्ट देवस्थान विभाग के खाते में दर्ज चली आ रही है। यह आराजीयात सार्वजनिक महत्व की है और आम जनता के लिये काम में आ रही है, यह कृषि भूमि नहीं है, यह भूमि किसी भी ट्रस्ट के खातेदारी में दर्ज नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरकरण तत्काल खारिज किया जाकर राजस्व रेकार्ड में पूर्वानुसार स्थिति अंकित कराने जाने हेतु अपील प्रस्तुत की गई।

उपखण्ड अधिकारी, भदेसर द्वारा उक्त अपील 38 वर्ष देरी से प्रस्तुत किये जाने पर बैरून मयाद मानकर निर्णय दिनांक 12.07.2018 से निरस्त कर कर निम्नांकित आदेश पारित किया गया–

1. *''अपील अपीलान्ट नामान्तरकरण के 38 वर्ष बाद प्रस्तुत की जाने तथा अपीलान्ट संस्था को पूर्व में ही उक्त भूमि श्री एकलिंग जी ट्रस्ट के खाते दर्ज होने की जानकारी होने से अपील स्पष्ट रूप से बैरून मयाद मानी जाकर मयाद के बिन्दु पर विचार करते हुए प्रस्तुत अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।*

2. *आलौच्य नामान्तरकरण संख्या 131 दिनांक 06.05.1971 में ग्राम आसावरा तहसील भदेसर की आ.न. 643 रकबा 155 बीघा 19 बिस्वा तालाब का पैटा है और आ.न. 651 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा तालाब की पाल है, कुल किता 2 कुल रकबा 160 बीघा 4 बिस्वा भुमि राजस्व अभिलेखों में राजकीय भुमि है और बिलानाम सरकार दर्ज है जिसे नामान्तरकरण संख्या 131 के माध्यम से एकलिंग ट्रस्ट देवस्थान विभाग के नाम दर्ज कर दिया गया है वह स्पष्ट*

*रूप से गलत है। इसलिए उक्त नामान्तरकरण में तत्कालीन तहसीलदार, भदेसर ने जिस निर्णय जागीर कमिश्नर का हवाला दिया है, उसमें दोनों आराजीयात अंकित नहीं है और राज्यहित लोक हित में न्यायालय का दायित्व है कि तहसीलदार, भदेसर उक्त दोनों कृषि भूमियों आराजी नम्बर 643 रकबा 155 बीघा 19 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 651 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 160 बीघा 4 बिस्वा का नामान्तरकरण संख्या 131 दिनांक 06.05.1971 के बाबत तुरन्त प्रभाव से राज्य हित में सक्षम न्यायालय में रेफरेन्स प्रस्तुत कर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस भुमि को बिलानाम सरकार दर्ज कराने की कार्यवाही पृथक से करें। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार भदेसर को प्रेषित की जावें।''*

उपखण्ड अधिकारी, भदेसर के निर्णय दिनांक 12.07.2018 से अपील अपीलार्थी मयाद बाहर होने के कारण खारिज की, परन्तु मयाद का बिन्दु निर्धारित करते हुए प्रकरण को मेरिट पर भी विरोधाभाषी आदेश पारित कर प्रकरण में रेफरेन्स प्रस्तुत करने का आदेश संख्या–2 पारित किया जिससे असंतुष्ट होकर प्रश्नगत अपील प्रस्तुत की गई।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट, वकील रेस्पोडेंट संख्या–3 उपस्थित जिनकी बहस दिनांक 18.12.2018 को सुनी गई। वकील रेस्पोडेंटस् संख्या–1 व 2 उपस्थित होकर लिखित बहस दिनांक 18.12.2018 को प्रस्तुत की गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आदेश संख्या 2 व 1 विरोधाभाषी व विधि विरूद्ध होने से आदेश संख्या 2 की हद तक निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील बैरून मयाद होने से खारिज कर प्रकरण में मेरिट के आधार पर टिप्पणी/फाईण्डिग/विवेचन देना विधि विरूद्ध है। उक्त नामान्तरकरण को निरस्त करने का रेफरेन्स 47 वर्ष पश्चात् मयाद अधिनियम के अनुसार प्रस्तुत नहीं किया जा सकता ह अर्थात रेफरेन्स अपने आप में बेरून मयाद है। इस प्रकार निर्णय दिनांक 12.07.2018 को आदेश संख्या–2 निरस्तनीय है। नामान्तरकरण की कार्यवाही ज्युडिशियल प्रोसेडिंग होती है एवं ज्युडिशियल प्रोसेडिंग से सम्बन्धित निर्णय में इस प्रकार के प्रशासनिक निर्देश प्रदान नहीं किये जा सकते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश संख्या–2 पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य आदेश दिनांक 12.07.2018 में जागीरी कमिश्नर के आदेश दिनांक 31.07.1964 व 24.11.1964 का हवाला दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जागीर कमिश्नर के निर्णय पर टिप्पणी

करते समय जागीर कमिश्नर के समक्ष प्रस्तुत निजी सम्पत्ति की फहरिस्त तथा भूमि जो एकलिंगजी महाराज श्री एकलिंग ट्रस्ट के अधीन बाद रिजम्शन तारिख 01.01.1959 रही तथा आदेश दिनांक 24.11.1964 के पश्चात् जागीरी कमीश्नर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.05.1989 का अवलोकन जागीरी कमीश्नर के नातिक आदेश दिनांक 31.07. 1964 के संदर्भ में नहीं करने के कारण दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध है। आदेश दिनांक 31.07.1964 तथा इसके पश्चात रिव्यु पर पारित आदेश दिनांक 24.11.1964 एवं निजी सम्पत्ति की फहरिस्त के आधार पर दोनों सम्पत्तियों आराजी नम्बर 643 व 651 जागीरदार श्री एकंलिगजी के कब्जे में बहाल रखी गई। जागीरी कमीश्नर के उक्त दोनों आदेशों कें अनुसरण में उक्त दोनों आराजीयात श्री एकलिंगजी के नाम से नामान्तरकरण कर दर्ज की गई, जिसकी आपत्ति किसी भी प्रकार से राज्य सरकार अथवा जागीरी कमिश्नर द्वारा शेष रहे निजी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किए गये निर्णय दिनांक 31.05.1989 के समय नहीं की गई। माननीय जागीरी कमीश्नर द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 31.05.1989 से पूर्णतया स्पष्ट है कि यदि उक्त दोनों की आराजीयात विवादास्पद होते तो जागीरी कमीश्नर के प्रथम आदेश दिनांक 31.07.1964 के पश्चात् ही उक्त दोनों आराजीयात के सम्बन्ध में रेफरेन्स प्रस्तुत किये जा चुके होते, जो आज दिनांक तक नहीं किये गये। उक्त दोनों आराजीयात के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई उजर राज्य सरकार की ओर से होता तो राज्य सरकार उक्त उजर जागीरी कमीश्नर के आदेश दिनांक 31.05.1989 से पूर्व उनके समक्ष प्रस्तुत कर चुके होते, परन्तु यह नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में जागीर कमीश्नर का उक्त निर्णय दिनांक 31.05.1989 नातिक व अंतिम होकर किसी भी प्रकार के किसी भी न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश संख्या 2 सिविल न्यायालय (अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या–1, निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़ के निर्णय दिनांक 23.01.2016 जो कि मूल दिवानी प्रकरण संख्या 41/2005 में पारित किया गया, में किये गये विवेचन से परे होने से विधि विरूद्ध है। उक्त निर्णय में जागीर कमीश्नर के निर्णय को मान्यता देते हुए उक्त सम्पत्ति अपीलान्ट के स्वामित्व की मानी है। मेवाड़ रियासत एवं उसके पश्चात उक्त दोनों ही आराजीयात एवं मंदिर, सराय आदि पर अनन्तकाल से ही वर्तमान अपीलान्ट का ही कब्जा चला आ रहा है। उक्त आराजीयात निजी खातेदारी में होते हुए भी जन सामान्य के लिए सार्वजनिक का उपयोग उपभोग में ही प्रयोग में लिया जाता रहा है, जब सामन्य की धार्मिक आस्था का पूर्ण ध्यान रखते हुए, पाल पर अपीलान्ट द्वारा निर्माण एवं सौन्दर्यकरण का कार्य स्वयं के स्तर पर ही किया जाता रहा है। यह आवश्यक नहीं है कि राजकीय भूमि होगी तभी जन सामान्य व सार्वजनिक उपयोग में ली जावेगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विवेचन अवधारित कर गलत एवं आधारहीन आदेश संख्या–2 पारित किया है।

जिला कलक्टर से कब्जे के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु तहसीलदार, भदेसर को निर्देशित किया गया, इस कब्जे के सम्बन्ध में तहसीलदार, भदेसर के जांच रिपोर्ट अनुसार तालाब व पाल श्री एकलिंगजी ट्रस्ट के स्वामित्व कब्जे व निजी सम्पत्ति होने का उल्लेख किया गया है। ऐसी स्थिति में भी रेफरेन्स हेतु आदेश दिया जाना विधि विरूद्ध है। अन्त में विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय आदेश संख्या–2 की हद तक अपास्त किये जाने का आदेश पारित किये जाने बाबत अनुरोध किया है।

विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या–3 ने अपनी बहस में बताया कि वाके मौजा आसावरा तहसील भदेसर की आराजी नम्बर 643 रकबा 155 बीघा 19 बिस्वा तालाब तथा पाल की आराजी न. 651 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 160 बीघा भूमि जो राजस्व अभिलेखों में बिलानाम सरकार के रूप में दर्ज चली आ रही थी, इस कृषि भूमि को नामान्तरकरण संख्या 131 के माध्यम से एकलिंगजी ट्रस्ट देवस्थान विभाग के नाम अंकित कर दिया और वर्तमान में यह कृषि भूमि एकलिंगजी ट्रस्ट देवस्थान विभाग के खाते में दर्ज चली आ रही है। यह आराजीयात सार्वजनिक महत्व की है और आम जनता के लिये काम में आ रही है, यह कृषि भूमि नहीं है, यह भूमि किसी भी ट्रस्ट के खातेदारी में दर्ज नहीं की जा सकती है। यह कार्यवाही वोईड होकर बिना अधिकार के है। ऐसे नामान्तरकरण को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। इसके लिए मयाद का बिन्दु लागु नहीं होता है। दोनों ही आराजीयात सार्वजनिक महत्व की होकर आम जनता जर्नादन के लिए आसावरा माता जी के दर्शन व तालाब मे स्नान आदि में काम आती है। नामान्तकरण संख्या 131 में जागीर कमिश्नर के आदेश का हवाला भी गलत दे रखा है। यह जमीन किसी के भी निजी खातेदारी की नहीं हो सकती है, न ही निजी खातेदारी में ही दर्ज किया जा सकता है। कथित इन्द्राज एबइनिश्योवोइड होकर बिना अधिकार के है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने अब्दुल रहमान के केस में इसी बिन्दु को तय किया तथा ऐसे तालाब पेटे, नदी, नाले व पाल नाड़ी, आदि की जमीने किसी के व्यक्तिगत खाते दर्ज नहीं की जावें तो इस प्रकार से ये जमीन ट्रस्ट के नाम खातेदारी के रूप में गलत दर्ज कर दी गई। ऐसे मामलों में मयाद कन्डोन की जाकर इसे मेरिट पर तय किया जाना आवश्यक था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को मयाद के बिन्दु पर निरस्त किया जो विधि विरूद्ध है।

दौरान अपीलीय प्रक्रिया रेस्पोडेंट संख्या–3 द्वारा क्रोस ऑब्जेक्शन प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 12.07.2018 एवं नामान्तरकरण संख्या 131 दिनांक 06.05.1971 का निरस्त फरमाया जाकर कथित जमीन पुनः बिलानाम सरकार

Web Copy - Not Official

तालाब व पाल दर्ज करायी जाने के आदेश बाबत अनुरोध किया। अपने कथन के समर्थन में विद्वान वकील अपीलान्ट ने निम्नांकित न्यायिक दृष्टांन की ओर ध्यान आकृष्ट किया– RRT 2017(2) P. 1105, RBJ 2015 SC P. 482, RRT 2013(2) P. 878, RRT 2011(1) P. 602, RRT 2018 (1) SC 601, RRD 1992 P. 17, 239, 337, RRD 1976 P.502.

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में बताया कि दिनांक 06.05. 1971 से पूर्व यह कृषि भूमि पेटा तालाब व पाल बिलानाम सरकार थी। यह बिलानाम सरकार मेवाड़ सेटलमेंट के समय से चली आ रही है यानि जागीर रिजम्पशन एक्ट के प्रभावशील होने से पहले बिलानाम थी, इस बाबत पक्षकारों के मध्य विवाद नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय अनुसार जागीर कमिश्नर ने दिनांक 24.11.1964 को तालाब पेटा व पाल देवस्थान एकलिंग जी ट्रस्ट की निजी सम्पत्ति घोषित की गई और बीड नम्बर 961, 967 रकबा 39/3 बीघा दिनांक 31.07.1964 को निर्णय होकर निजी सम्पत्ति धोषित की जा चुकी है। जागीर कमीश्नर की आदेश से आसावरा मन्दिर माता जी मय चौका का ही फैसला किया गया है इस प्रकार आराजी नम्बर 643, 651 के बाबत किसी प्रकार का कोई फैसला नहीं किया गया है। जब ऐसा कोई आदेश है ही नही, तो नामान्तरकरण संख्या 131 के कॉलम संख्या 16 में जो एन्ट्रियां की गई, वे गलत है। नामान्तरकरण संख्या 131 दिनांक 06.05.1971 में ग्राम आसावरा तहसील भदेसर की आ.न. 643 रकबा 155 बीघा 19 बिस्वा तालाब का पैटा है और आ.न. 651 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा तालाब की पाल है, कुल किता 2 कुल रकबा 160 बीघा 4 बिस्वा भुमि राजस्व अभिलेखों में राजकीय भुमि है और बिलानाम सरकार दर्ज है जिसे नामान्तरकरण संख्या 131 के माध्यम से एकलिंग ट्रस्ट देवस्थान विभाग के नाम दर्ज कर दिया गया है वह स्पष्ट रूप से गलत है। इसलिए उक्त नामान्तरकरण में तत्कालीन तहसीलदार, भदेसर ने जिस निर्णय जागीर कमीश्नर का हवाला दिया है, उसमें दोनों आराजीयात अंकित नहीं है और ऐसी स्थिति में उक्त दोनों कृषि भूमियों आराजी नम्बर 643 रकबा 155 बीघा 19 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 651 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 160 बीघा 4 बिस्वा का नामान्तरकरण संख्या 131 दिनांक 06.05.1971 के बाबत तुरन्त प्रभाव से राज्य हित में सक्षम न्यायालय में रेफरेन्स प्रस्तुत कर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस भुमि को बिलानाम सरकार दर्ज कराने की कार्यवाही किया जाना आवश्यक था और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में अपने निर्णय में इस हेतु आदेश जारी किए जो पूर्णतया विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट अस्वीकार फरमाई जाने का अनुरोध किया है।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं सम्बन्धित अभिलेख, प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों, प्रस्तुत दस्तावेजान, रेस्पोडेंट संख्या–3 द्वारा प्रस्तुत क्रोस

आबजेक्शन (क्रास अपील) का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर समक्ष रेस्पोडेंट संख्या–3 द्वारा नामान्तरकरण संख्या 131 दिनांक 06.05.1971 से असंतुष्ट होकर अपील प्रस्तुत की गई थी। उक्त नामान्तकरण एवं उक्त आराजीयात श्री एकलिंग ट्रस्ट सिटी पैलेस, उदयपुर के खातेदारी दर्ज थी, इसकी जानकारी आरम्भ से ही सभी पक्षकारों का थी जो अभिलेख पर उपलब्ध रेकार्ड एवं तदूंपरात की गई कार्यवाही एवं किये गये वाद से प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील निर्धारित समयावधि में नहीं की गई। सन् 1971 के आदेश के उपरान्त सन् 2009 में अर्थात 38 वर्ष उपरान्त प्रस्तुत की गई, जिसका विलम्ब असाधारण है। विलम्ब के सम्बन्ध में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए। उक्त परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12.07.2018 के आदेश क्रमांक–1 से उनके समक्ष प्रस्तुत अपील बैरून मयाद मान कर खारिज की जो आदेश संख्या–1 की हद तक विधि सम्मत प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में इस सम्बन्ध में वकील रेस्पोडेंट संख्या–3 द्वारा प्रस्तुत क्रॉस आबजेक्शन उचित प्रतीत नहीं होकर अस्वीकार योग्य है।

जहां तक उक्त निर्णय दिनांक 12.07.2018 के आदेश संख्या–2 जिसके द्वारा उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में रेफरेन्स प्रस्तुत करने की कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया, उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने दृढ़ता से तर्क दिया कि आदेश दिनांक 31.07.1964 तथा इसके पश्चात रिव्यु पर पारित आदेश दिनांक 24.11.1964 एवं निजी सम्पत्ति की फहरिस्त के आधार पर दोनों सम्पत्तियों आराजी नम्बर 643 व 651 जागीरदार श्री एकंलिगजी के कब्जे में बहाल रखी गई। जागीरी कमीश्नर के उक्त दोनों आदेशों कें अनुसरण में उक्त दोनों आराजीयात श्री एकलिंगजी के नाम से नामान्तरकरण कर दर्ज की गई, जिसकी आपत्ति किसी भी प्रकार से राज्य सरकार अथवा जागीरी कमिश्नर द्वारा शेष रहे निजी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किए गये निर्णय दिनांक 31.05.1989 के समय नहीं की गई। अपने कथन के समर्थन में विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा समक्ष जागीरी कमीशनर के उक्त आदेशों की प्रतियां प्रस्तुत की जिसके अवलोकन से अपीलान्ट के कथनों की पुष्टि होती है। रेस्पोडेंट्गण द्वारा उक्त आदेशों को चुनौती नहीं गई जबकि रेस्पोडेंट्स को उक्त आदेशों की सवर्था जानकारी थी।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–1, निम्बाहेडा के निर्णय दिनांक 23.01.2016 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि रेस्पोडेंट संख्या–3 आसावरा माता अहिंसा प्रचार समिति, आसावरा माता द्वारा उक्त आराजीयात, नालें पर किये निर्माण कार्य को हटवाने इत्यादि के सम्बन्ध में एक वाद

Web Copy - Not Official

माननीय अपर जिला न्यायाधीश–1, निम्बाहेडा समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त निर्णय दिनांक 23.01.2016 से प्रस्तुत वाद अस्वीकार कर खारिज किया गया। वकील अपीलान्ट ने कथन किया कि उक्त वाद उनके पक्ष में तय कर निर्णय में जागीर कमीश्नर के निर्णय को मान्यता देते हुए उक्त सम्पत्ति एकलिंग जी ट्रस्ट के स्वामित्व की जानी है, जागीरी कमीश्नर के निर्णय को चुनौती नहीं दी गई, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश संख्या–2 से रेफरेन्स की कार्यवाही करने के निर्णय का कोई औचित्य नहीं है। उक्त निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा वादी आसावरा माता अहिंसा प्रचार समिति द्वारा प्रस्तुत समस्त बिन्दुओ पर विस्तृत विवेचन वाद खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12.07.2018 के आदेश संख्या–2 पारित किये जाते समय विचार किया जाना प्रतीत नहीं होता है और न ही अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं निर्णयों पर विश्लेषण एवं परिक्षण किया जाना प्रतीत नहीं होता है, जिससे निर्णय दिनांक 12.07.2018 का आदेश संख्या–2 पूर्णतया विधि स्वरूप न होकर अपास्त योग्य है। ऐसी स्थिति में इस सम्बन्ध में वकील रेस्पोडेंट संख्या–3 द्वारा प्रस्तुत क्रॉस आबजेक्शन उचित प्रतीत नहीं होकर अस्वीकार योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, भदेसर का निर्णय दिनांक 12.07.2018 आदेश संख्या–2 की हद तक Bad in law होकर अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

( भवानी सिंह देथा )
संभागीय आयुक्त
उदयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official